केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.
******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2018/294 — दिनांक: 27.11.2018

संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2018/00256
CICOM/R/2018/50779

अपीलकर्ता : श्री वेद प्रकाश अगरवाल,
सी – 16, सैक्टर – 3,
चिरंजीव विहार, गाजियाबाद,
उत्तर प्रदेश – 201002.

निर्णय की तारीख: 27.11.2018

ऑनलाइन आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	12.10.2018
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	05.11.2018
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री जीवन चंद्र
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	12.11.2018
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	523/19.11.2018 (5424/16.11.2018)

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 12.10.2018 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से दिनांक 12.10.2018 को आयोजित केन्द्रीय सूचना आयोग के वार्षिक सम्मेन की मूल विडियो की मांग की गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री जीवन चंद्र, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध अपीलकर्ता द्वारा प्रथम अपील दाखिल की गई है ।

2. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन एवं आर.टी.आई. आवेदन) का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता द्वारा उक्त आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में श्री जीवन चंद्र, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 05.11.2018 के पत्र के माध्यम से वांछित सूचना प्रदान की जा चुकी है जिसमें दिए गए वेबसाईट लिंक में वार्षिक सम्मेलन का विडियो भी उपलब्ध है । तद्नुसार श्री जीवन चंद्र, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 05.11.2018 को प्रदान की गई सूचना से अधोहस्ताक्षरी सहमत हैं तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है ।

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली – 110067 में की जा सकती है ।

(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष – 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

C.I.C./कें० सू० आ०
RECEIVED
29 NOV 2018
D. No.
Initials